

—प्रेस नोट—
जनपद मीरजापुर।

दिनांक – 03.06.2022

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा जिप्सी में लदे 59.890 कि०ग्रा० अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 15 लाख) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के क्रम में दिनांक 02.06.2022 को उ०नि० संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष अहरौरा मय हमराह देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन में मामूर थे कि मुखबिर के सूचना के आधार पर इमिलियाचट्टी थाना चुनार बार्डर पर चेकिंग के दौरान एक जिप्सी गाडी संख्या CG 07 LE 1677 रोका गया जिसमें 02 व्यक्ति मौजूद थे। गाडी चालक द्वारा गाडी रोकने पर दोनों उतर कर भागने का प्रयास किये परन्तु पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों से नाम पता पुछने पर अभियुक्तगण 1.गुड्डू गुप्ता पुत्र शम्भू नाथ गुप्ता उम्र 38 वर्ष, 02-सत्येन्द्र यादव पुत्र रामसागर यादव उम्र-32 वर्ष निवासीगण भड़सर मिल्की थाना दुबहड़ जनपद बलिया बताये जिनको हिरासत मे लिया गया। पुलिस टीम द्वारा वाहन संख्या CG 07 LE 1677 जिप्सी की तलासी से **59.890 कि०ग्रा० अवैध गांजा** बरामदगी की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को मा०न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नाम पता-

1. गुड्डू गुप्ता पुत्र शम्भू नाथ गुप्ता उम्र 38 वर्ष निवासी भड़सर मिल्की थाना दुबहड़ जनपद बलिया।
2. सत्येन्द्र यादव पुत्र रामसागर यादव उम्र-32 वर्ष निवासी भड़सर मिल्की थाना दुबहड़ जनपद बलिया।

बरामदशुदा माल का विवरण

1. **59.890 कि०ग्रा०** गांजा नाजायज
- 2.वाहन संख्या CG 07 LE 1677 जिप्सी
- 3.दो अदद मोबाइल

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाले अधि०/कर्म०गण का नाम—

- 1.थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह (थानाध्यक्ष अहरौरा)
- 2.उ०नि० डी०पी० यादव
- 3.हे०का० अनुप सिंह
- 4.हे०का० सचिन मौर्या
- 5.का०मनोज कुमार
- 6.का० सुधाकर खरवार
- 7.म०का० सुमन देवी
- 8.म०का० कंचन चौरसिया

